में नहीं खरीद सका है । मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे मंत्री महोदय के पास वक्तव्य देने के लिए भेज दिया है ।

बंगला देश को मान्यता दिये जाने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. RECOGNITION TO BANGLA DESH

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमति इन्दिरा गांधी) : बंगला देश के लोगों ने भीषण कठिनाइयों का सामना करते हुए जो साहस पूर्ण संघर्ष किया है, उससे स्वतन्त्रता-आन्दोलन के इतिहास में वीरता के एक नये अध्याय का प्रारम्भ हुआ है।

2. इससे पूर्व उन्होने अपने चुनावों में एक महान विजय प्राप्त की थी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भी शेख मुजीबुर रहमान के पाकिस्तान के प्रधान मंत्री बनने के अधिकार को स्वीकार किया था । यह तो हमें कभी मालूम नहीं हो पायेगा कि यह उदारता की भावना तथा यथार्थवादि रवैया आदि उसमें कोई वास्तविकता थी तो वह धोखे और खुली घृणा की स्थिति में क्यों कर बदल गया ।

3. हमें बताया गया है कि शेख मुजीबुर रहमान और उनके दल, अवामी लीग, ने पश्चिम पाकिस्तान को सरकार के विरुद्ध एक अहिंसक आंदोलन का आयोजन किया था । किन्तु उन पर अचानक और बर्बर सैनिक आक्रमण कर दिया गया । उनके सामने स्वतन्त्रता घोषित करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था । ईस्ट पाकिस्तान राइफिल्स और ईस्ट बंगाल रेजीमेंट ने पहले मुक्ति फौज, और बाद में मुक्तिवाहिनी, का रूप लिया, जिसमें पूर्वी बंगाल के सहस्त्रों नव युक शामिल हुए । वे स्वतन्त्रता प्राप्ति तथा अपने भविष्य के निर्माण के अधिकार के लिये अपने जीवन को बलिदान करने के लिये कटिबद्ध थे । जिस एकता दृढता तथा साहस से बंगलादेश को सारी जनता संघर्ष कर रही है, उसके बारे में संसार के सभी समाचारपत्रों में चर्चा रही है ।

4. हमारी सीमाओं के बिल्कुल निकट हुई इन घटनाओं तथा उनके परिणाम स्वरूप देश में आये शरणार्थियों की बाढ़ से हमारे देश पर उसका दूरगामी प्रभाव पड़ना अनिवार्य था । बंगला देश के लोगों के इस न्यायपूर्ण संघर्ष में हमारी सहानुभूति उनके साथ होनी स्वाभाविक है । परन्तु मान्यता प्रदान करने के मामले में हमने जल्दबाजी नहीं की । हमारा निर्णय भावनाओं पर नहीं अपितु वर्तमान तथा भावी वास्तविकताओं के मूल्यांकन पर निर्भर था ।

5. बंगला देश की समूची जनता के एक मत विद्रोह करने तथा इस संघर्ष में उसकी सफलताओं से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि तथाकथित मूल पाकिस्तान राष्ट्र अब बंगला देश के लोगों पर फिर से अपना नियन्त्रण कायम करने में पूर्णतया असमर्थ है । जहां तक बंगला देश सरकार की बैधता का प्रश्न है अब सारा विश्व जानता है कि वह भारी बहुमत में जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है । इस प्रकार का बहुत कम देशों की सरकारों को प्राप्त है

गवर्नर मौरिस को लिखे गये जेफरसन के प्रसिद्ध कथन के अनुसार बंगला देश की सरकार को "समूचे राष्ट्र का स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया" समर्थन प्राप्त है। जब हम इस सिद्धांत को पाकिस्तान के सैनिक शासन पर, जिसका समर्थन करने लिये कुछ देश उत्सुक हैं, लागू करते हैं तो हम देखते हैं कि वह शासन पश्चिम पाकिस्तान तक में भी वहां के लोगों का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

6. चूंकि अब पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध जंग छेड़ दी है इस लिए हमारे इस संकोच का कोई महत्व नहीं रह गया है कि कोई ऐसा कार्य न किया जाए जिससे शांतिपूर्ण समाधान में कोई बाधा उपस्थित हो अथवा जिसे हस्तक्षेप समझा जाये। अपने अस्तित्व के लिये लड़ रही बंगला देश की जनता तथा पाकिस्तानी आक्रमण को परास्त करने के लिये लड़ रही भारत की जनता दोनों एक ही उद्देश्य को पूरा करने में सलग्न हैं।

7. मुझे सभा को यह बताते हुये हर्ष है कि वर्तमान परिस्थति को दृष्टि में रखते हुये तथा बंगला देश की सरकार की बार-बार प्रार्थना पर भारत सरकार ने पूरी तरह विचार करने के बाद अब यह निर्णय किया है कि "गण प्रजातंत्रीय बंगला देश" को मान्यता प्रदान कर दी जाये।

8. हमें आशा है कि समय बीतने के साथ और अधिक राष्ट्र इस सरकार को अपनी मान्यता प्रदान करेगें और गण प्रजातन्त्रीय बंगला देश राष्ट्रों के परिवार में अपना समुचित स्थान प्राप्त कर लेगा।

9.इस क्षण हमें नये राष्ट्र के पिता, शेख मुजीबुर्रहमान का ध्यान आता है। मुझे विश्वास है कि सभा बंगला देश के माननीय कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री और उनके साथियों को अपनी शुभ कामनाओं और बधाई का सन्देश भेजना चाहेगी।

10. मैं सभा पटल पर बंगला देश से प्राप्त पत्रों की एक प्रति रख रहा हूं। माननीय सदस्यों को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि बंगला देश की सरकार ने अपने राज्य की नीति के आधार भूत सिद्धांतों की घोषणा की है और वे हैं लोक तन्त्र, समाजवाद और धर्म-निर्पेक्षता तथा समतावादि समाज की स्थापना, जिसमें जाति, धर्म, लिंग अथवा मत के आधार पर कोई भेद भाव नहीं होगा। विदेशी मामलों में बंगला देश सरकार ने भुट्टो से अलग रहने, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा उपनिवेशवाद, जातिवाद और साम्राज्यवाद का सभी रूपो मैं विरोध करने की नीति के अनुसरण का दृढ संकल्प किया है। इन सभी आदर्शों को भारत भी मानता है।

11. बंगला देश सरकार ने यह भी दोहराया है कि वह इस बात की व्यवस्था करने को उत्सुक है कि उसके जिन नागरिकों ने हमारे देश में अस्थायी रूप से शरण ले रखी है वे तुरन्त अपने देश को वापिस आ जायें तथा उनको भूमि और सम्पत्ति वापस दिलाई जायें। हम इसकी व्यवस्था के लिए उनकी स्वाभाविक रूप से उनकी हर तरह सहायता करेंगे।

12. मुझे विश्वास है कि भविष्य में भारत और बंगला देश की सरकारें और वहां की जनता जिन्होंने इस दिशा में सामान्य आदर्शों के लिए मिल कर बलिदान दिये हैं, परस्पर मैत्री में बंध जायेंगे, जो एक दूसरे की प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखंडता, आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता एवं परस्पर उपयोगिता के सिद्धान्तों पर आधारित होगी। इस तरह स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र के लिये कार्य करते हुए हम संसार में अच्छे पड़ोसियों का आदर्श प्रस्तुत करेंगे, जो इस क्षेत्र में शान्ति, स्थायित्व और प्रगति लाने में सहायक होगा। हम बंगला देश के लिये शुभ कामना करते हैं।

सैयद नजरूल इस्लाम, गण प्रजातंत्रीय बंगला देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति

मुजीब नगर

24 अप्रैल, 1971

सेवा में,

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति,
नई दिल्ली।

महामान्य,

26, मार्च, 1971 को सार्वभौमिक स्वतन्त्र गण प्रजातंत्रीय बंगला देश की उद्घोषणा के साथ, शेख मुजीबुर्रहमान की अध्यक्षता में एक सरकार की स्थापना कर दी गई है।

स्वतन्त्रता की उद्घोषणा, विधि अविच्छेद प्रवर्तन आदेश तथा मन्त्री मण्डल के सदस्यों की सूची की एक एक प्रति संलग्न है तथा आपके अवलोकनार्थ उन पर क्रमशः (क) (ख) और (ग) अक्षर अंकित हैं।

26 मार्च, 1971 से पहले पूर्व पाकिस्तान के नाम से कहे जाने वाले प्रदेशों में बंगला सरकार पूर्ण सार्वभौमिकता तथा विधि सम्मत प्राधिकार का प्रयोग कर रही है और इसने अन्तर्राष्ट्रीय कानून की रीतियों, प्रथाओं और सर्व सम्मत सिद्धान्तों के अनुरूप राज्य के कार्यों के लिये सभी समुचित कार्यवाही की है।

बंगला देश और भारत के भ्रातृवत लोगों के बीच परम्परागत रूप से चले आ रहे मित्रता पूर्ण सम्बन्धों को देखते हुए मैं आपकी सरकार से अनुरोध करता हूं कि गण प्रजातन्त्रीय बंगला देश की सरकार को तत्काल मान्यता प्रदान करें। दोनों देशों के बीच मित्रतापूर्ण सम्बन्धों को और भी सुदृढ़ करने की दृष्टि से बंगला देश सरकार सामान्य राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने और राजदूतों की अदला-बदली करके अत्यन्त प्रसन्न होगी।

महामान्य आप हमारी परम आदर के आश्वासन को कृपया स्वीकार करें।

हस्ता०

सैयद नजरूल इस्लाम

कार्यवाहक राष्ट्रपति

हस्ताक्षारित :

बंगला देश सरकार
की मुहर

खांडाकर मुश्ताक अहमद
विदेश मन्त्री

स्वतन्त्रता की उद्घोषणा

मुजीब नगर, बंगला देश,
10 अप्रैल, 1971

यत: संविधान बनाने के उद्देश्य से प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए बंगला देश में 7 दिसम्बर, 1970 से 17 जनवरी, 1971 तक स्वतन्त्र चुनाव हुए थे,

और

यत: इन चुनावों में बंगला देश के लोगों ने 169 प्रतिनिधियों में से अवामी लीग के 167 लोगों को चुना,

और

यत: संविधान बनाने के प्रयोजन से जनरल याहिया खां ने लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों की 3 मार्च, 1971 को बैठक के लिये बुलाया,

और

यत: इस प्रकार बुलाई गई विधान सभा को स्वेच्छाचारिता से और गैर कानूनी रूप से अनिश्चित अवधि के लिये स्थगित कर दिया,

और

यत: अपने वायदे को पूरा करने की बजाय और जबकि बंगला देश के लोगों के प्रतिनिधियों से बातचीत चल ही रही थी, पाकिस्तान के प्राधिकारियों ने अनुचित एवं कपटपूर्ण युद्ध घोषित कर दिया।

और

यत: इस प्रकार के कपटपूर्ण व्यवहार के तथ्यों और परिस्थितियों में बंगला देश के 750 लाख लोगों के निर्विवाद नेता बंगबधु शेख मुजीबुर्रहमान ने, बंगला देश के लोगों के आत्म-निर्णय के कानूनी अधिकार के समुचित निर्वाह की दृष्टि से 26 मार्च, 1971 को ढाका में स्वतन्त्रता की उद्घोषणा की और बंगला देश के लोगों से अनुरोध किया कि वे बंगला देश की प्रतिष्ठा और अखण्डता की रक्षा करें,

और

यत: निष्ठुर और, बर्बर युद्ध के द्वारा पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने बंगला देश के सिविल और निहत्थी जनता एवं अन्य लोगों पर जाति विनाश और अभूतपूर्व शारीरिक यंत्रणा के अनेक कृत्य किए और अभी भी वे निरन्तर कर रहे हैं,

और

यत: पाकिस्तानी सरकार ने अनुचित युद्ध प्रारम्भ करके और जाति विनाश तथा दूसरे दमनकारी कृत्यों द्वारा बंगला देश के निर्वाचित प्रतिनिधियों की बैठक बुलाना और उनके द्वार

संविधान तैयार करना तथा सरकार बनाना असंभव कर दिया,

और

यतः बंगला देश के लोगों ने अपने शौर्य, वीरता और क्रांतिकारी उत्साह के द्वारा बंगला देश के क्षेत्रों पर प्रभावी नियन्त्रण स्थापित कर लिया है,

हम, बंगला देश के लोगों के निर्धारित प्रतिनिधि, बंगला देश के लोगों द्वारा, जिनका मत सर्वोच्च है, हमारे प्रति प्रकट किये गये विश्वास के कारण नैतिक रूप से उत्तरदायी होते हुए, अपने आप को संविधान सभा में गठित करते हैं;

और

आपस में विचार विमर्श करने के पश्चात्,

और

बंगला देश के लोगों के लिये समता, मानवीय गौरव और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिये,

बंगला देश को सार्वभौमिक गण प्रजातंत्रीय के रूप में घोषित एवं गठित करते हैं और फलतः बंगला बन्धु शेख मुजीबुर्रहमान द्वारा पहले की गई स्वतन्त्रता की उद्घोषणा की पुष्टि करते हैं,

और

एतद् द्वारा यह निश्चय एवं प्रतिज्ञा करते हैं कि उस समय तक, जब तक कि संविधान नहीं बनाया जाता, बंगला 'बन्धु शेख मुजीबुर्रहमान गणतन्त्र के राष्ट्रपति होंगे और सैयद नजरूल इस्लाम गणतन्त्र के उप-राष्ट्रपति होंगे,

और

राष्ट्रपति गणतन्त्र की सभी सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होंगे।

क्षमा प्रदान करने की शक्ति-सहित गणतन्त्र की सभी कार्यपालिका और विधायी शक्तियों का प्रयोग करेंगे,

उनको प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, जैसा कि वह आवश्यक समझे, करने की शक्ति प्राप्त होगी।

उन्हें कर लगाने और व्यय करने की शक्ति प्राप्त होगी,

उन्हें संविधान सभा का सत्र बुलाने और उसे स्थगित करने की शक्ति होगी,

और

वह बंगला देश के लोगों को सुव्यवस्थित और न्यायपूर्ण सरकार उपलब्ध कराने के लिये सभी आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

हम, बंगला देश के लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि, यह भी प्रतिज्ञा करते हैं कि किसी दशा

में राष्ट्रपति के न होने अथवा राष्ट्रपति द्वारा अपना पद संभालने में असमर्थ होने अथवा अपनी शक्तियों एवं कर्त्तव्यों का उपयोग करने में असमर्थ होने की अवस्था में राष्ट्रपति को दी गई सभी शक्तियों, कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों का पालन उप-राष्ट्रपति द्वारा किया जायेगा।

हम यह भी प्रतिज्ञा करते हैं कि राष्ट्रों के परिवार के सदस्य के रूप में और संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र से हमारे ऊपर आए सभी कर्त्तव्यों और दायित्वों का हम पालन करेंगे।

हम यह भी प्रतिज्ञा करते हैं कि स्वतन्त्रता की यह उद्घोषणा 26 मार्च, 1971 से प्रभावी मानी जानी चाहिये.

हम यह भी प्रतीज्ञा करते हैं कि इस प्रलेख को प्रभावी बनाने के लिये और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति को पद की शपथ देने के लिये प्रोफेसर एम० युसुफ अली को हम यथावत अपना संविहित प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं।

हस्ताक्षरित।

एम. युसुफ अली

विधिवत संविहित प्रतिनिधि, बंगला देश की संविधान-सभा के प्राधिकार के द्वारा तथा उसके अन्तर्गत।

विधि अविच्छेद प्रवर्तन आदेश

मुजीबनगर,

10 अप्रैल, 1971

मैं, सैयद नजरूल इस्लाम, बंगला देश का उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति, स्वतन्त्रता की उद्घोषणा दिनांक 10 अप्रैल, 1971 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा यह आदेश देता हूं कि बंगला देश में 25 मार्च, 1971 के दिन, जो भी कानून प्रवर्तन में थे, उपरोक्त उद्घोषणा के अधीन वे सभी कानून अविछिन्न रूप से प्रवर्तन में रहेंगे। उनमें केवल वही अनुवर्ती परिवर्तन किये जायेंगे, जो कि सार्वभौमिक स्वतन्त्र बंगला देश की स्थापना के परिणामस्वरूप अपेक्षित होंगे, जिस बंगला देश की स्थापना बंगला देश के लोगों की इच्छा से हुई है, और वे सभी सरकारी कर्मचारी-सैनिक, असैनिक, न्यायिक तथा राजनैयिक, जो बंगला देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेंगे, उन्हीं सेवा शर्तों पर अपने पदों पर बने रहेंगे, जो शर्तें अब तक उन पर लागू होती थीं और बंगला देश के क्षेत्र में सभी जिला न्यायाधीश और जिला मजिस्ट्रेट एवं अन्य स्थानों पर नियुक्त सभी राजनैयिक प्रतिनिधि उनके क्षेत्राधिकार में कार्य करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को शपथ दिलवाने का प्रबन्ध करेंगे।

यह आदेश 26 मार्च, 1971 से प्रभावी हुआ माना जायेगा।

हस्ताक्षरित

सैयद नजरूल इस्लाम,

कार्यवाहक राष्ट्रपति

लोक गणतन्त्र बंगला देश की सरकार मंत्रिमंडल के सदस्य

राष्ट्रपति	शेख मुजीबुर्रहमान
उप-राष्ट्रपति	सैयद नजरूल इस्लाम
प्रधान मंत्री	श्री ताजुद्दीन अहमद
मंत्री, विदेश, विधि और संसदीय कार्य विभागों के प्रभारी	खांडाकर मुशताक अहमद
मंत्री, वित्त, व्यापार और उद्योग के विभागों के प्रभारी	श्री एम. मन्सूस अली
मंत्री, आन्तरिक, पूर्ति सहायता और पुनर्वास विभागों के प्रभारी	श्री ए० एच० एम० कमरूज्जवान

बंगला देश सरकार की मुहर

मुजीब नगर

15 अक्टूबर, 1971

महामान्या,

भारत के महामहिम राष्ट्रपति को दिनांक 24 अप्रैल, 1971 को भेजे गये पत्र एवं बाद के पत्रों एवं व्यक्तिगत विचार विमर्शों के अनुक्रम में हम यह पत्र लिख रहे हैं। महामान्या, आपको बंगल देश के साढ़े सात करोड़ लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाले, राष्ट्रीय तथा प्रांतीय विधान सभाओं के विधिवत निर्वाचित सदस्यों की संविधान सभा द्वारा 10 अप्रैल को स्वतन्त्रता की उद्घोषणा की जानकारी है। यह उद्घोषणा पाकिस्तान के सैनिक शासन द्वारा 25 मार्च, 1971 से लोगों के निर्णय का एकपक्षीय, निरंकुश एवं बर्बर अस्वीकृति तथा लोगों की लोकतन्त्री स्वतन्त्रताओं एवं मूलभूत मानविक अधिकारों के दमन के परिणाम स्वरूप की गई थी।

2. यह सर्वविदित है कि बंगला देश के लोगों को काफी समय तक पश्चिम पाकिस्तान के शासक वर्ग द्वारा नियंत्रित एक के बाद एक आने वाली सभी सरकारों के निर्मम औपनिवेशिक आधिपत्य, व्यवस्थित आर्थिक शोषण और राजनैतिक एवं सांस्कृतिक और भेदभाव को सहन करना पड़ा था। दिनांक 24 अप्रैल, 1971 के पत्र द्वारा आपको शेख मुजीबुर्रहमान के राष्ट्रपतित्व तथा सैयद नजरूल इस्लाम के कार्यवाहक राष्ट्रपतित्व के अन्तर्गत प्रजा गणतंत्रीय बंगला देश की सरकार की स्थापना की सूचना दी गई थी।

3. पिछले कई वर्षों से हमारे लोग अपने मौलिक अधिकारों की प्राप्ति करने के लिए शांतिपूर्ण

और अहिंसक संघर्ष करते रहे हैं। पाकिस्तान के सैनिक शासन द्वारा राष्ट्रीय असैम्बली के संयोजन को बार बार स्थगित किये जाने पर भी हमने हिंसा का सहारा नहीं लिया परन्तु अपना अहिंसक संघर्ष जारी रखा। पाकिस्तान के सैनिक शासकों ने तथा कथित बातचीत के बहाने 24 मार्च, 1971 की रात्रि तक समय प्राप्त करने के लिये इस बात का लाभ उठाया तथा अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाया।

4. 25 मार्च की उस दुखद रात्रि को एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार जब उन्होंने हमारे देश के निर्दोष एवं निहत्थे पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों पर अपनी सेना का अत्याचार प्रारम्भ किया तो सारे विश्व को उनकी योजनाओं का पता चल गया। उन्होंने बुद्धिजीवियों, युवकों के विशिष्ट वर्गों तथा श्रमिकों, किसानों और विद्यार्थियों के नेताओं को अपना विशेष लक्ष्य बनाया। इससे हमारे समक्ष शस्त्रों का सहारा लेने के सिवाय दूसरा कोई चारा न रहा।

5. 10 अप्रैल को अपनी स्वतन्त्रता की औपचारिक उद्घोषणा से हमारे मुक्ति संघर्ष को गति एवं शक्ति मिली है। भूतपूर्व पूर्व बंगाल रेजीमेंट, पूर्व पाकिस्तान राइफिल्स और अन्य अर्ध-सैनिक संगठनों के लगभग 60,000 सदस्यों ने बंगला देश के साढ़े सात करोड़ लोगों के संघर्ष में अपना योगदान दिया और हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिये शस्त्र धारण किये। सैकड़ों हजारों युवकों ने उनका साथ दिया और उन्होंने अपनी मातृभूमि की सार्वभौमिकता और स्वतन्त्रता की रक्षा करने और इसे औपनिवेशिक दमन-चक्र से बचाने के लिये उन युवकों को प्रशिक्षण दिया।

6. बंगला भाषा भाषी के नेतृत्व को समाप्त करने और इन लोगों के बहुमत को कम करके इन्हें अल्पसंख्यक बनाने की व्यर्थ आशा के साथ दमन की यह नीति अधिक नृशंसता के साथ जारी रही है। अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्य इस आंतकवादी नीति के विशेष लक्ष्य बने हैं। जाति विनाश बलात्कार तथा लूट-पाट की इस नीति के परिणामस्वरूप लगभग 90 लाख हमारे पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों को आतंक में भगाया गया और उन्होंने आपके देश में शरण ली तथा देश से यह निर्गमन अभी भी जारी है।

7. हमारे निर्विवाद नेता एवं राष्ट्रपति, शेख मुजीबुर्रहमान पर गुप्त सैनिक मुकदमा चलाया गया है और ऐसी सूचना है कि उन्हें मौत की सजा दी गई है। अवामी लीग पर, जिसने कि पिछले दिसम्बर में हुए राष्ट्रीय चुनावों में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की थी, प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। पाकिस्तान की सैनिक सरकार ने जनता के यथावत् निर्वाचित 79 प्रतिनिधियों को अयोग्य करार दे दिया है और हारे हुए प्रत्याशियों तथा देषद्रोहियों की तथा कथित सिविल सरकार थौपी है, जिसे अब पाकिस्तान की सैनिक सरकार की शक्ति द्वारा समर्थन दिया गया है। बंगला देश के साढ़े सात करोड़ लोग इसके द्वारा धोखे में नहीं आ पाये हैं। इनसे सैनिक अत्याचारियों का धोखा और कपट ही प्रकट हुआ है। इस सबसे हम बंगला देश को मुक्त कराने के प्रति और भी दृढ़प्रतिज्ञ हुए हैं।

8. महामान्या, हमें आप को यह सूचित करके अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि इस संघर्ष के सुखद परिणाम निकले हैं। बंगला देश के आधे क्षेत्र पर गण प्रजातन्त्रीय बंगला देश की

मुक्ति सेना, मुक्ति वाहिनी, का पूर्ण नियन्त्रण है । हम इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि बँगला देश की सरकार ने इस क्षेत्र पर प्रभावी असैनिक प्रशासन स्थापित कर लिया है और यह निर्बाध रूप से चल रहा है। इस बात का न केवल सामान्य जनता द्वारा ही स्वागत किया गया है अपितु हमारी सरकार के प्रयासों को इसके नियन्त्रणाधीन क्षेत्रों में स्वाभाविक और अत्यधिक सहयोग भी प्राप्त हुआ है ।

9 उपर्युक्त के संदर्भ में क्या हम आप से यह अनुरोध कर सकते हैं कि बंगला देश को स्वतन्त्र एवं विधिवत गठित सरकार को मान्यता देने सम्बन्धी दिनांक 24 अप्रैल, 1971 के हमारे सन्देश के प्रति प्रभावयुक्त प्रतिक्रिया व्यक्त करें । आपके द्वारा व्यक्त प्रभावयुक्त प्रतिक्रिया से बंगला देश की मुक्ति के लिये वहाँ के लोगों एवं गण प्रजातन्त्रीय बंगला देश की सरकार द्वारा चलाये जा रहे संघर्ष को अत्यधिक प्रेरणा प्राप्त होगी । इसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी प्रकट होगी जिससे विश्व के इस भाग में स्वतन्त्रता, शांति और स्थायित्व के उद्देश्य को प्रोत्सा-मिलेगा । अतः क्या हम आप से इस पत्र के शीघ्र उत्तर का अनुरोध करें ।

महामान्या, हमारी परम आदर भावना का आश्वासन कृपया स्वीकार करें ।

हस्ताक्षरित ।

हस्ताक्षारित ।	गण प्रजातन्त्रीय बंगला	ताजुद्दीन अहमद
सैयद नजरूल इस्लाम	देश सरकार की मुहर	

15 अक्तूबर, 1971

महामान्या श्रीमती इन्दिरा गांधी
भारत की प्रधान मन्त्री
नई दिल्ली ।

बंगला देश सरकार
की मुहर

मुजीब नगर,
23 नवम्बर 1971.

महामान्या,

क्या हम आपका ध्यान आपके यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमरीका के दौरे पर जाने के अवसर पर लिखे गये दिनांक 15 अक्टूबर के अपने पत्र की ओर आकर्षित करें ? हमें आशा थी कि गण प्रजातन्त्रीय बंगला देश तथा इसकी सरकार को मान्यता देने सम्बन्धी हमारी मूल प्रार्थना पर विचार करने के अतिरिक्त हमारे पत्र से विश्व के जिन नेताओं से आपको मिलने जाना था उनकी भावनाओं की गहराइयों तथा स्वतन्त्रता संघर्ष की बढ़ी हुई गति से अवगत करने में भी आपको सहायता मिलेगी । आपके विचार विमर्श के सम्बन्ध में हमें जो समाच प्राप्त हुए उनसे यह में यस आशा जाग्रत हुई कि जिन राजनीतिज्ञों से आप मिलें वे राष्ट्रपति याहिया खां को इस बात से सहमत करवाने में समर्थ होंगे कि हमारे निर्विवाद नेता, मुजीबुर्रहमान तथा हमारे पहले से चुने हुए प्रतिनिधियों के विचार विमर्श के साथ बंगला देश की समस्या का राजनैतिक हल निकल जायेगा ।

2. जबकि आप विदेशों में परिस्थितियों की वास्तविकता और बंगला देश के लोगों की

घोषित आकांक्षाओं के अनुरूप राजनैतिक हल ढूंढ़ने की अनिवार्य आवश्यकता के महत्व का वर्णन कर रही थी, उस समय भी हमें यह स्पष्ट संकेत प्राप्त हुए कि पश्चिम पाकिस्तान के सैनिक शासक हमारे लोगों के विरूद्ध दमन और नृशंसता की अपनी नीति जारी रखने के प्रति दुराग्रही थे। राष्ट्रपति याहिया खां को 12 अक्टूबर 1971 के वक्तव्य से बंगला देश की नागरिक आबादी के विरूद्ध पश्चिम पाकिस्तानी सेना की बढ़ी हुई कार्यवाहियों और युक्ति युक्त राजनैतिक हल निकालने के बारे में विश्व के राजनीतिज्ञों द्वारा किये गये विभिन्न प्रस्तावों को ठुकराने से हमारे मत की ही पुष्टि हुई।

3. विशेष रूप से पिछले दो सप्ताहों की घटनायें स्पष्ट रूप से इस बात की ओर संकेत करती हैं कि पश्चिम पाकिस्तान के सैनिक शासकों को तर्क के रास्ते पर वापस लाने और परिस्थिति की वास्तविकताओं को समझने के लिये नहीं मनाया जा सकता। इस बीच हमारे देश वासियों का भारत जाना अक्षुण्ण रूप से जारी है और यह पश्चिम पाकिस्तानी सेना द्वारा हमारे लोगों के निरन्तर दमन का परोक्ष परिणाम है। हमारे लोगों के दमन साथ ही पश्चिम पाकिस्तान को सैनिक जनता द्वारा अपनाई गई अर्थात सामान्यीकरण की कपटपूर्ण नीति भी बरती जा रही है। दमनकारी मार्शल ला सरकार पूर्वी पाकिस्तान की तथा कथित सिविल सरकार का, जो हारे हुये उम्मीदवारों और देशद्रोहियों द्वारा गठित है और जिससे बंगला देश के लोग व्यापक रूप से घृणा करते हैं, पोषण कर रही है। पिछले दिनों में हमारे लोगों को अतांकित करने और उनकी हत्या करने के बारे में उनके अत्याचार अत्यधिक और कल्पनातीत सीमा तक बढ़ गये हैं। आपने पिछले पखवाडे में पश्चिमी पाकिस्तानी सेना द्वारा बंगला देश में कर्फ्यू, गिरफ्तारियों, आगजनी व बर्बादी और व्यापक उन्मूलन के सम्बन्ध में समाचार अवश्य पढ़े होंगे। सभी गांवों को नष्ट करके वहां की आबादी को समाप्त प्राय कर दिया गया है। पश्चिम पाकिस्तान सेना ने इस प्रकार व्यवस्थित नृशंसता दिखाई है कि बंगला देश के लाखों निवासी देश के भीतर आश्रय और भोजन के बिना घूम रहे हैं। हमारे अनुमानों के अनुसार बंगला देश के लगभग 50 लाख नागरिक ऐसी दुःखद और हृदय विदारक दशा में हैं कि जिसमें इन्हें कोई सहायता और राहत नहीं मिली है यह लोग बंगला देश के उन एक करोड़ लोगों के अतिरिक्त हैं जो पहिले से ही भारत जा चुके हैं और जिनकी संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। उपर्युक्त तथ्य एक ही निष्कर्ष की ओर संकेत करते हैं कि पाकिस्तान के सैनिक शासन ने हमारी जाति का पूर्वनिर्धारित और नियोजित उन्मूलन आरम्भ किया है।

4. पश्चिम पाकिस्तान का सैनिक शासन शेख मुजीबुर्रहमान और बंगला देश की सरकार के साथ बातचीत करने से अभी भी इन्कार कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप न केवल बंगला देश के लोग ही अपितु पाकिस्तान के अन्य भागों के लोग भी राष्ट्रपति याहिया खां के सैनिक शासन से विमुख ही रहे हैं। उत्तर पश्चिमी श्रीमान्त प्रदेश और ब्लूचिस्तान के लोगों के असन्तोष को देख कर पश्चिम पाकिस्तान की सरकार को बाध्य होकर नेशनल अवामी पार्टी पर जिसने पश्चिम पाकिस्तान के उपर्युक्त दोनों प्रदेशों के प्रादेशिकचुनावों में बहुमत प्राप्त किया था, प्रतिबन्ध लगाना पड़ा है।

5. इस सबसे हमारे इस मूल मत की पुष्टि होती है कि जो दमन कुछ सेनापतियों से

गठजोड़ के साथ राष्ट्रपति याहिया खां ने आरम्भ किया उसमें पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों का कोई योग न था राष्ट्रपति याहिया खां के पिछले महीने के वक्तव्यों और उनकी कार्यवाहियों से यह स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि वे न केवल बंगला देश के लोगों की अपितु सारे पाकिस्तान के लोगों की लोकतन्त्रीय भावनाओं को कुचलने के लिए कटिबद्ध हैं।

6. हमने अपने दिनांक 15 अक्तूबर के पत्र द्वारा आपको सूचित किया था कि मुक्ति-वाहिनी की कार्यवाहियां जोर पकड़ती जा रही हैं। बंगला देश के लोगों के व्यापक सहयोग के साथ मुक्तिवाहिनी के सैनिक दमनकारियों के विरुद्ध अपनी मातृभूमि के बहुत बड़े भाग पर फिर से प्रभावी प्रशासकीय नियन्त्रण स्थापित करने में असाधारण सफलता प्राप्त की है। हमने अपने दिनांक 15 अक्तूबर के पत्र द्वारा आपको सूचित किया था कि बंगला देश के आधे क्षेत्र पर हमारा अधिकार है। हमें आपको यह सूचित करते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि देश के दो—तिहाई क्षेत्र पर अब हमारा प्रभावी नियन्त्रण स्थापित है। हमने न केवल यह क्षेत्र मुक्त करवाया है बल्कि अपना प्राधिकार भी सुदृढ़ किया है और अपने नियन्त्रण के अधीन क्षेत्रों पर प्रभावी असैनिक प्रशासन भी स्थापित कर लिया है। शेष क्षेत्रों में भी जन-सहयोग के साथ स्वतन्त्रता का संघर्ष इस अवस्था तक पहुंच चुका है कि पश्चिमी पाकिस्तानी सेना को इसके कारण अपने आप को किलेबन्दी वाले कुछ सीमित स्थानों पर ही बंद रहने को बाध्य होना पड़ रहा है। समय बीतने के साथ हमारी सफलताओं और पश्चिमी पाकिस्तान की घटनाओं से पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने भी हमारे उद्देश्य की वैधता को स्वीकार किया है। पश्चिम पाकिस्तान के सैनिक शासन का दुराग्रह और उनके द्वारा हमारे लोगों का सामूहिक हत्याकाण्ड राष्ट्रपति याहिया खां द्वारा बलपूर्वक उपायों से बंगला देश पर नियन्त्रण बनाये रखने की दुराशा के सूचक हैं। इससे अपनी मातृभूमि को पूर्णतया मुक्त करवाने का निश्चय सुदृढ़ ही हुआ है और हमें आशा है कि हम अपना उद्देश्य अवश्य प्राप्त करेंगे। हम अधिक संगठित हुए हैं और हमारी सशस्त्र सेनाएं अनुशासित एवं दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। हजारों देशभक्त नौजवान मुक्तिवाहिनी में सम्मिलित हुए हैं और उन्होंने बंगला देश के लोगों को हमेशा के लिए औपनिवेशक दासता से मुक्त कराने के लिए अपना जीवन अर्पित किया है। जो दारुण विपदा हमने सही है, लगभग दो दशकों तक हमने जो दमन सहा है और 25 मार्च के सर्वनाश और बाद की घटनाओं में जिसकी अनुभूति हुई उसको जड़ से ही समाप्त करने का हमारा अपरिवर्तनीय इरादा है। यह गुलाम बनाए गए लोगों का अपने शोषकों के विरुद्ध न्यायोचित संघर्ष है।

7. हमें यह आशा थी कि हमारे संघर्ष को अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय और विशेष रूप से हमारे महान पड़ौसी भारत से तत्काल और ठोस समर्थन प्राप्त होगा। हमारी आशाओं का आधार भारत की संसद द्वारा 31 मार्च, 1971 को पारित भावपूर्ण वह संकल्प था, जिसमें बंगला देश के लोगों द्वारा लोकतन्त्रीय जीवन के लिए संघर्ष के प्रति सहानुभूति और हमदर्दी व्यक्त की गई थी। अब तक आठ मास बीत चुके हैं। न तो अन्तर्राष्ट्रीय दबाव और न ही विश्व के राज-नीतिज्ञों के तर्क संगत परामर्श पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक शासन को यह बात स्वीकार करवाने में सफल हुए हैं कि बंगला देश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में पहिले ही चुने गये और सर्वमान्य नेताओं के माध्यम से बंगला देश के लोगों के साथ राजनैतिक हल के लिए

बातचीत की जाये। न ही आप की सहनशीलता और संयम का पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों पर कोई ठोस प्रभाव पड़ा है। उसके विपरीत, जाति विनाश, मानविक अधिकारों के उल्लंघन तथा दमन की व्यवस्थित नीति अपनाने के अतिरिक्त पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक शासन ने इस समस्या की ओर से विश्व का ध्यान दूसरी ओर ले जाने के लिए इसे भारत-पाकिस्तान विवाद बता कर इस समस्या को अन्तर्राष्ट्रीय रूप देने का प्रयास किया है। आपकी सरकार ने समस्या को सही रूप में प्रस्तुत करने और स्थिति की वास्तविकता की ओर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान दिलाने के लिए जो सतत प्रयास किये हैं, उनसे हम अवगत हैं। बंगला देश के लोगों और पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक शासकों के बीच इस झगड़े के शांतिपूर्ण हल के लिए प्रयास असफल हो गये हैं और राष्ट्रपति याहिया खां के हाल के वक्तव्यों और कार्यवाहियों से राजनैतिक हल में बहुत कम आशा दिखती है। इस संदर्भ में हमें हैरानी और विक्षोभ हुआ है कि पश्चिमी पाकिस्तान के अत्याचारी सैनिक शासन के विरुद्ध भारत सतर्कता और नियन्त्रण की नीति जारी रख रहा है।

8. अफ्रीकी एशियाई प्रदेशों से उपनिवेशवाद की बुराई को समाप्त करने में भारत ने जो मुख्य योगदान दिया उसे बंगला देश के लोग महसूस करते हैं। विश्व के उत्पीड़ित लोगों के पक्ष में भारत के भावपूर्ण समर्थन और संगत विरोध के परिणाम स्वरूप ही उपनिवेशवाद को समाप्त करने की प्रक्रिया को मुख्य राजनीतिक ताकत ने गति दी। जहां भी मानविक प्रतिष्ठा को खतरा हुआ और लोगों की स्वतन्त्रता और आजादी पर संकट आया, आपकी सरकार और आपके लोगों ने सदैव ही उसके विरुद्ध आवाज उठाई है। विश्व के उत्पीड़ित लोगों के मुक्ति और स्वतन्त्रता-आंदोलनों के न्यायपूर्ण संघर्षों के प्रति आपका सतत सहयोग सबको ज्ञात है। भारत उत्पीड़ित और मौलिक अधिकारों से वंचित लोगों की स्वतन्त्रता के उद्देश्य और आजादी का अनुमोदन करने वालों में आगे रहा है। आपने लोकतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समाजवाद तथा गुट-निरपेक्षता की विदेश नीति के सिद्धांतों के प्रति भी निर्भीक समर्थन दिखाया है। गण प्रजातंत्रीय बंगला देश की स्वतन्त्रता की उद्घोषणा और तत्पश्चात हमारे देश की सरकार के वक्तव्यों से स्पष्ट संकेत प्राप्त होता है कि हम इन आदर्शों और आकांक्षाओं के प्रति भी एकमत हैं। अपनी राज्य-नीति के उन मौलिक सिद्धान्तों को हम यहां पर फिर से दोहराना चाहते हैं, जिनकी हमने पहले उद्घोषणा की है अर्थात लोकतन्त्र, समाजवाद, धर्म निरपेक्षता और समतावादी समाज की स्थापना, जिस समाज में जाति, धर्म, लिंग अथवा मत के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं होगा। अपने वैदेशिक संबंधों में हम गुट-निरपेक्षता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में उपनिवेशवाद, जातिवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करने की नीति के पालन के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। आदर्शों और सिद्धान्तों की इस समानता की पृष्ठभूमि में हम इस बात को समझने में असमर्थ हैं कि भारत सरकार ने अभी तक मान्यता देने के हमारे अनुरोध पर अपनी प्रतिक्रिया क्यों व्यक्ति नहीं की है।

9. अधिक व्यवहारिक स्तर पर हम इस बात से सजग हैं कि बंगला देश में आतंक के कारण नागरिकों को बहुत अधिक संख्या में भारत में आगमन के परिणामस्वरूप आपके देश पर बहुत बोझ पड़ा है। हम आप की इस चिंता को समझते हैं कि हमारे देश के लाखों देशवासियों

की आपके क्षेत्र में उपस्थिति तनाव पैदा कर सकती है। भारत में बंगला देश के शरणार्थियों की अधिक संख्या से, जो आर्थिक भार और सामाजिक एवं राजनैतिक तनाव उत्पन्न हो सकते हैं, वे भारत और बंगला देश की सरकारों के लिए चिंता का विषय है और होने भी चाहिये। आपने क्षेत्र पर प्रभावी नियन्त्रण के द्वारा और सँगठित असैनिक प्रशासन की स्थापना से हम इस बात के प्रति उत्सुक हैं कि हमारे सभी साथी नागरिक जिन्हें 25 मार्च, 1971 के पश्चात अपने परिवार और घर बार छोड़ने को बाध्य होना पड़ा और जो आपकी उदारता के बावजूद भी आपके देश में बड़ी कठिन परिस्थितियों में से गुजर रहे हैं जल्दी से जल्दी अपने घरों को वापस आए। हम अब इस स्थिति में भी हैं कि उन लोगों को सुरक्षा, प्रतिष्ठा एवं सम्मान की परिस्थितियों में उनके अपने घरों में फिर से बसा सकें और उनका पुनर्वास कर सकें। आने वाले सर्दी के मौसम को देखते हुए, इस विषय में समयावधि का बहुत ही महत्व है। विशेष रूप से स्त्रियों बच्चों और बूढ़ों के स्वास्थ्य और कल्याण को तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब उनको बंगला देश वापिस भेजने के लिए प्रबंधों को सुनिश्चित किया जा सके। हम आपको यह आश्वासन देना चाहेंगे कि शरणार्थियों को उनके घरों को शीघ्रतापूर्वक वापस भेजने का कार्य संगठित करने में हमारी सरकार आपको पूर्ण सहयोग देगी। ऐसा कहने का अवसर नहीं आना चाहिये कि हम उनकी आवश्यकता के समय सहायता नहीं कर सके।

10. हमारी समझ के अनुसार बंगला देश और भारत के लोगों को जो तनाव एवं खिचाव पिछले आठ महीनों से सहने पड़ रहे हैं उन्हें कम करने के लिए आपके द्वारा बंगला-देश की सरकार को मान्यता देना बहुत आवश्यक है। हमारे सामूहिक उद्देश्यों की शीघ्र पूर्ति केवल इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि आप हमें राजनैतिक और नैतिक समर्थन दें अपितु इस बात पर भी है कि स्वाधीनता संघर्ष के लिए आप हमें साज समान की भी सहायता दें। हम इस बात को समझते हैं कि आपके द्वारा हमें मान्यता देने से और हमारे पारस्पारिक सम्बन्धों के सभी पहलूओं में सहयोग के द्वारा इस मान्यता को व्यापक रूप देने में बंगला देश की समस्या का चिर-स्थायी हल शीघ्रता से निकलेगा।

11. हमारे उद्देश्य को जो निरन्तर सहयोग आपने दिया है और इस दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में आपने जो प्रयास किए हैं उनके लिए हम आपके आभारी हैं। हम यह अनुभव करते हैं कि हमारे सम्बन्ध को शीघ्र फलदायी बनाने और विश्व द्वारा हमारे स्वतन्त्र अस्तित्व को स्वीकार करवाने के लिए आपके सहयोग को औपचारिक राजनैतिक रूप देना अब आवश्यक है। आपके द्वारा मान्यता देना हमारी आकांक्षाओं और हमारे स्वतन्त्र अस्तित्व को स्वीकार करना होगा और इससे उनको बल मिलेगा। हमारा यह भी सुविचारित मत है कि भारत सरकार द्वारा जन गणतंत्रीय बंगलादेश को मान्यता देना न केवल इस उप-महाद्वीप की परि-स्थितियों में स्थिरता लाने की दृष्टि से अपितु दक्षिण-पूर्वी एशिय की शाँति, प्रगति और स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए भी एक बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण कदम है। अतः क्या हम अपने दिनांक 15 अक्तूबर के पत्र में किए गए अनुरोध को फिर से दोहराएं कि आप सार्वभौमिक गण प्रजातन्त्रीय बंगलादेश को तत्काल मान्यता प्रदान करें।

महामान्या, हमारी परम आदर भावना का आश्वासन कृपया स्वीकार करें।

हस्ताक्षरित हस्ताक्षरित

सैयद नजरुल इस्लाम ताजुद्दीन अहमद

महामान्या श्रीमती इन्दिरा गांधी,

भारत की प्रधान मन्त्री,

नई दिल्ली।

(गण प्रजातन्त्रीय बंगलादेश सरकार की मुहर)

प्रेषक,

सैयद नजरुल इस्लाम,
गण प्रजातन्त्रीय बंगलादेश
के कार्यवाहक राष्ट्रपति,
और
ताजुद्दीन अहमद,
गण प्रजातन्त्रीय बंगलादेश के
प्रधान मंत्री।

सेवा में,

महामान्या श्रीमती इन्दिरा गांधी,
भारत की प्रधान मंत्री,
नई दिल्ली।

महामान्या,

पाकिस्तान की सैनिक जनता द्वारा 3 दिसम्बर के मध्यान्ह के बाद से आपके देश के विरुद्ध किये गये कायरतापूर्वक आक्रमण का समाचार अभी-अभी हमें ज्ञात हुआ है। याहिया खां द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्रों के दुःसाहस पूर्वक उल्लंघन की नवीनतम घटना इस बात का अन्तिम प्रमाण है कि याहिया खां इस उप-महाद्वीप के देशों को तनावों, विनाश और सामाजिक आर्थिक बिक्षुब्धता को भट्टी में झोंकना चाहते हैं। बंगलादेश के लोग पश्चिम पाकिस्तान सरकार की इन अभिरुचियों के प्रति सचेत थे और इन्होंने लगभग नौ मास पूर्व आज़ादी का संघर्ष आरम्भ किया। हमने दिनांक 15 अक्तूबर और दिनांक 23 अक्तूबर से आपको पत्र लिखे थे, जिनमें स्थिति की वास्तविकताओं का वर्णन कब्जा करने वाली सेनाओं की पूर्ण हार होने तक पाकिस्तान की सैनिक जनत्य से लड़ने की आपकी दृढ़ प्रतिज्ञा बतायी थी। याहियाखां तथा उसके सेनापतियों द्वारा आपके देश पर किये गये आक्रमण से यह बात और भी अधिक आवश्यक हो गयी है कि भारत के लोग और बंगलादेश के लोग आक्रमकों को मार भगाने और लोकतन्त्र

एवं स्वतन्त्रता तथा जिन सामूहिक आदर्शों की हम कदर करते हैं, उनके लिए लड़ने के लिए कन्धे से कन्धा मिलाकर खड़े हों।

श्रीमती प्रधान मन्त्री जीं, हम आदर पूर्वक आपको यह सूचित करते हैं कि पाकिस्तान द्वारा 3 दिसम्बर को आपके देश पर किए गए प्रत्यक्ष आक्रमण को देखते हुए बंगलादेश की मुक्ति सेनाएं बंगलादेश में किसी भी क्षेत्र में अथवा किसी भी मोर्चे पर पाकिस्तान को आक्रामक सेनाओं से लड़ने को तत्पर हैं। पाकिस्तान के सैनिक षड़यंत्र के विरुद्ध हमारा संयुक्त मुकाबला इस बात से और भी आसान हो जायेगा जब हम एक दूसरे के साथ औपचारिक राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित करलें। अतः क्या हम आपसे अनुरोध करें कि भारत सरकार हमारे देश एवं हमारी सरकार को तत्काल मान्यता प्रदान करे। इस अवसर पर हम आपको यह आश्वासन देना चाहेंगे कि दोनों देशों के लिए संकट तथा खतरे की इस घड़ी में बंगलादेश की सरकार तथा लोग एक रूप होकर आपके साथ खड़े हैं। हमारी यह हार्दिक आशा है कि राष्ट्रपति याहिया खां की घृणित योजनाओं और इच्छाओं का संयुक्त प्रतिरोध द्वारा सफलतापूर्वक सामना किया जा सकेगा।

महामान्या, हम आक्रामकों के विरुद्ध आपके न्याययुक्त संघर्ष में अपनी सरकार के पूर्ण समर्थन का आपको आश्वासन देते हैं।

महामान्या, अपनी परम आदर भावना के आश्वासन को हम पुनः दोहराते हैं।

4 दिसम्बर, 1971

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : इस समय अपने भाव व्यक्त करने के लिये मेरे पास शब्द नहीं हैं। काफी समय से हम इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे कि यह देश बंगला देश में आरम्भ हुये मुक्ति आन्दोलन के साथ पूर्ण सहयोग करेगा।

इस ऐतिहासिक क्षण में प्रधान-मंत्री ने अपना कर्तव्य खूब निभाया है। सैनिक जनता के विरुद्ध जो संघर्ष चल रहा था उसे सफलता प्राप्त होगी और विश्व के हमारे भाग में स्वतन्त्रता का बोलबाला होगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Mr. Speaker, Sir, a right step has been taken in giving recognition to Bangla Desh. The process of changing history is going on. We are not only fighting together with freedom fighters but giving a new turn to the history too. The liberation of Bangla Desh is near. The Govt. of India has not only helped the freedom fighters by recognising Bangla Desh but given a International statris to Bangla Desh.

Our Prime Minister deserves Congratulations.

श्री सेभियान (कुम्बकोणम) : आज एक ऐतिहासिक दिवस है जब भारत द्वारा स्वतन्त्र बंगला देश को मान्यता दी गई है। हम बंगला देश सरकार और इसकी बहादुर जनता का

स्वागत और अभिनन्दन करते हैं। बंगला देश को स्वतन्त्रता प्राप्त कराने में और वहां पर लोकतन्त्र को बनाए रखने में हम उनके साथ हैं। यह संघर्ष सैन्य शक्ति और लोकतन्त्री अधिकारों के बीच है। इतिहास बताता है कि लोकतन्त्री अधिकारों की ही सदैव विजय होती है। बंगला देश मे एक नया इतिहास लिखा जा रहा है।

Shri Shyamnandan Mishra (Begusarai) : On this occasion, we congratulate our Prime Minister and armed forces Coming days will be more critical and it is hoped that we will show more stability and fore, sightedness. Our present achievements has shown the brauery and courage of our forces which has incresed the prestige of our country. Our countrymen do not think that they have attained the final victory but they will have to make many sacrifices in order to preserve this victory.

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मैं प्रधान मंत्री को उनके इस साहसिक निर्णय के लिये बधाई देता हूं। मेरा दल पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री के साथ है। हम आशा करते हैं कि विभाजन के परिणामस्वरूप हुई क्षति को पूरा कर लिया जायेगा और इस उप–महाद्वीप के इतिहास में इससे एक स्वर्णिम, अध्याय खुलेगा। वस्तुतः यह साहसिक निर्णय अत्यन्त उत्साह-वर्धक है जिससे भारत मे और स्वतन्त्रता सेनानियों में एक नई भावना उत्पन्न हो गई है।

श्री त्रिदिब चौधरी (बरहामपुर) : वास्तव में यह एक ऐतिहासिक और महान अवसर है जिसमें लम्बे भाषणों की आवश्यकता नहीं है। इस वर्ष 24 मार्च को बंगला देश के राष्ट्र-पिता शेख मुजीबुर्रहमान ने बंगला देश की स्वाधीनता की घोषणा की और इसे स्वतन्त्र कराने की शपथ ली। सरकार तथा प्रधानमंत्री जितने राष्ट्र के तथा राष्ट्रीय भावना के समीप आज हैं उतने शायद पहले कभी नहीं थे। मैं प्रधानमंत्री तथा उनकी सरकार को बंगलादेश को मान्यता देने के लिए बधाई देता हूं।

प्रो० मधू दण्डवते (राजापुर) : स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था कि शान्ति की तरह स्वतन्त्रता अविभाज्य है और विश्व के एक भाग में स्वतन्त्रता को खतरा अन्यत्र भी स्वतन्त्रता को खतरा होता है। मैं प्रसन्न हूं कि प्रधान मंत्री ने अपने पिता के शब्द सुने हैं और इन प्रतिध्वनित शब्दों के रूप में बंगला देश की स्वतन्त्रता को माना है जो कि हमारे देश की स्वतन्त्रता के अनुरूप है। स्वतन्त्रता सेनानियों और शहीदों को अब विदित हो जाना चाहिये कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। यह प्रसन्नता की बात है कि भारत की सेनाओं और बंगला देश की सेनाओं ने संगठित होकर बंगला देश को आजाद कराने का प्रयत्न आरम्भ कर दिया है। जैसा कि हमारे महान देश की परम्परा है, हमारी सेनाएं किसी देश की भूमि पर कब्जा नहीं करना चाहतीं अपितु किसी देश की स्वाधीनता को बचाने और बनाए रखने के लिये सदैव अग्रसर रहेंगी।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : मैं प्रधान मंत्री को उचित समय पर सही निर्णय लेने के लिये बधाई देता हूं। लेकिन इस उत्तेजना में हमें इस संग्राम के वास्तविक महत्व को नहीं भुला देना चाहिये। वास्तविक महत्व यह है कि बंगला देश और भारत की सेनाएं कंधे से कंधा

मिलाकर लड़ रही है और पाकिस्तान की सैनिक जनता को पराजित कर रही है । यह प्रदेश पर हमला नहीं है अपितु यह पाकिस्तान के सैद्धांतिक आधार पर हमला है जो कि इस संघर्ष का सार है । मुझे आशा है कि बंगला देश के हितों का समर्थन करने वाले इसके महत्व को हमारे दैनिक जीवन में भी क्रियान्वित करने का प्रयास करेगें ।

श्रीमति एम० गौडफ्रे (नामनिर्देशित आँग्ल भारतीय) हमारी प्रिय प्रधान मंत्री की प्रशंसा शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती है । बंगला देश को मान्यता देने की घोषणा करने का उचित दिन आज ही है । अतः इस ऐतिहासिक दिन यह एतिहासिक निर्णय लेने के लिये हम सभी एक स्वर प्रधान मंत्री को धन्यवाद देते हैं । यह एक ऐतिहासिक घटना है ।

श्री एस० बी० गिरी (वारंगल) : बंगला देश के लोगों की लोकतांत्रिक विचारधारा की तथा इस देश के लोगों की विचारधारा की अन्ततः विजय हुई है और बंगला देश को मान्यता प्रदान की गयी है । तेलंगाना प्रजा समिति की ओर से मैं प्रधान मंत्री को बंगला देश को मान्यता देने के लिये बधाई देता हूं । मुझे आशा है कि दूसरे देश भी हमारा अनुसरण करेगें और बंगला देश को मान्यता प्रदान करेंगें ।

Shri Ishaq Sambhali (Amroha): We have to congratulate those Mujahids of Bangla Desh who are fighting for freedom, socialism and secularism. We also hail the people of India and Prime Minister who have recognised Bangla Desh. This is an historic event. We believe that this movement has started a new reuolution for the freedom of millions which will make a country free.

अध्यक्ष महोदय : समस्त स्वतन्त्र जनता की ओर से तथा सम्पूर्ण सभा की ओर से मैं भी अन्य सदस्यों के साथ प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं । मेरे विचार से प्रधान मन्त्री द्वारा की गई यह घोषणा इतिहास में बंगला देश के स्वतन्त्रता प्रेमी लोगों के साथ हमारे महान सहयोग के प्रदर्शन के रूप में प्रकट होगी । उन समस्त लोगों की ओर से तथा आप सब की तरफ से मैं बंगला देश की सरकार को भी लोकतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समाजवाद, विश्व शान्ति और मानव अधिकार पर अपने राज्य की नींव डालने की महत्वपूर्ण तथा महान घोषणा के लिए बधाई देता हूं ।

कुछ माननीय सदस्य : अब सभा को स्थगित कर देना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सचिव से परामर्श किया है और इस समय कोई अत्यन्त आवश्यक कार्य बाकी नहीं है । अब श्री पन्त कुछ पत्र सभा पटल पर रखेंगे ।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र–जारी
PAPERS LAID ON THE TABLE—CONTD

भारत रक्षा नियम

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : मैं भारत रक्षा अधिनियम, 1971 की धारा 35 के अधीन, भारत रक्षा नियम, 1971 की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक